<u>न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर।</u>

<u>परिवाद पत्र संख्या :-254/2018</u>

<u>आदेश</u>

<u>03.01.2019</u>परिवादी अनुपस्थित है । अभिलेख आदेश हेतु निश्चित है । अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया ।

अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि परिवादी सुभाष यादव के द्वारा अभियुक्त कृष्ण कुमार साहनी के विरूद्ध परिवाद पत्र दाखिल किया है । परिवादी द्वारा दाखिल परिवाद पत्र, परिवादी का सशपथ बयान एवं परिवादी के द्वारा प्रस्तुत कराये गये जाँच साक्षियों के साक्ष्यों का अवलोकन किया ।

परिवाद पत्र एवं उपरोक्त जाँच साक्षियों के साक्ष्य के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि परिवाद पत्र के नामांकित अभियुक्त कृष्ण कुमार साहनी ने परिवादी को थाना पर बुलाकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, मारपीट किया है एवं जेल में बंद करने की धमकी भी दी है, जो इनके द्वारा किया गया कार्य उनके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में नही आता है । अतः कृष्ण कुमार साहनी के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा 323, 504 एवं 506 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है ।

परिवादी को यह निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त कृष्ण कुमार साहनी के विरूद्ध समन निर्गत करने हेतु आवश्यक अपेक्षिकाएँ एक सप्ताह के अंदर दाखिल करे। तत्पश्चात् कार्यालय अभियुक्त कृष्ण कुमार साहनी के विरूद्ध समन निर्गत करे । दिनांकः-11-03-2019 वास्ते अभियुक्त कृष्ण कुमार साहनी की उपस्थिति हेतु ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।